न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—231/2016/223 आर.टी.एक्ट (2016/00231)

1. श्री प्रहलाद पुत्र शंकर दत्तक पुत्र स्व0 रामा आयु 16 वर्ष नाबालिग पुत्र जरिए पिता शंकर जाति जाचक निवासी ग्राम फारकिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती कमला पत्नि स्व0 रामा आयु 85 वर्ष (फौत) नाम तर्क
2. श्रीमती जीवणी बेवा कामड आयु 65 वर्ष
3. श्री हंसराज पुत्र कामड आयु 40 वर्ष
4. फूली पुत्री कामड आयु 50 वर्ष
5. काली पुत्री कामड आयु 45 वर्ष
6. श्रीमती सम्पति पत्नि चम्पा उर्फ रामप्रसाद आयु 55 वर्ष
7. धारू पुत्र चम्पा उर्फ रामप्रसाद आयु 27 वर्ष
8. सेठू पुत्र चम्पा उर्फ रामप्रसाद आयु 25 वर्ष जातिगण जांचक निवासीगण ग्राम फारकिया, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदा, नसीराबाद जिला अजमेर।
10. उप—पंजीयक कार्यालय तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।
11. तीजा पुत्री स्व0 रामा आयु 55 वर्ष जातिगण जांचक निवासीगण ग्राम फारकिया, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर। (तलवी बंद)
12. श्रीमती शांति पत्नि श्रवणसिंह जाति रावत निवासी फारकिया, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 28/2014

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री एन0के0जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 12.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 9, 10
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 8 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—18.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है। ग्राम फारकिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में आस्थित में पुश्तैनी भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 39, 40, 46, 107, 276, 277, 278, 279, 555, 1790, चौसाला जमाबंदी संवत 2022 से 2026 में रामा वल्द कल्ला के नाम 1 हिस्सा एवं हिरा वल्द हरिराम 1/2 हिस्सा व राजू वल्द छितर 1/2 हिस्सा काना वल्द रतना 1 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा हिरा वल्द हरिराम व राजू वल्द छितर की मृत्यु हो चुकी है का वारिस प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 है जिनका 1 हिस्सा है तथा काना वल्द रतना की मृत्यु हो गई है का 1 हिस्सा है जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 है तथा रामा वल्द कल्ला की मृत्यु हो गई के वारिस वादी संख्या 1 प्रहलाद गोद पुत्र व तीजा पुत्री रामा वादी संख्या 2 एवं कमला बेवा रामा प्रतिवादी संख्या 1 है इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित है तथा आज भी मौके पर वादीगण का कब्जा व अधिपत्य है तथा उक्त आराजीयात चौसाला खसरा नम्बर 39, 40, 46, 107, 276, 277, 278, 279, 555, 1790, चौसाला जमाबंदी संवत 2022 से 2026 में रामा वल्द कल्ला के नाम 1 हिस्सा की मृत्यु होने से उसके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 क्रमशः गोद पुत्र प्रहलाद, पुत्री तीजा एवं पत्नि कमला के नाम वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा नम्बर 69, 70, 71, 77, 78, 153, 352, 651, 2196, के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 122, 123, 124, 151, 152, 125, 2070/3381 , 634, 1450, 3110 भूमि खातेदारी बतौर विरासत अंकन करने के बजाय गलत एवं त्रुटिपूर्ण तरीके से राजस्व अधिकारियों एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा गैर कानूनी तरीके से वादीगण बतौर पुत्री एवं गोद पुत्र के नाम अंकन नहीं किया जाकर अपने हक अधिकारों से परे जाते हुए गैर कानूनी रूप से विधि विरूद्ध तरीके से गलत एवं त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिवादी से संख्या 1 के नाम गलत अंकन कर दिया को पुनः दुरूस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि में कल्ला पुत्र रामा के हिस्से पर वादीगण का नाम अंकन किया जावे। इस आशय की इंद्राज दुरूस्ती खातेदारी उदघोषणा की आज्ञप्ति बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में निहित है, तथा राजस्थान सरकार को पक्षकार मुर्तिब किया गया है वाद कारण दिनांक 19.01.2014 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने धमकी दी की पुश्तैनी भूमि से बेदखल कर बेचान कर देंगे तथा अनुतोष के रूप में दावाकृत भूमि में बतौर वारिस खातेदारी दर्ज करने एवं भूमि को बैचान, रहन, हस्तांतरण नहीं करने एवं वादी उसके हक व हिस्से से महरूम नहीं करने एवं कब्जे काश्त में दखल नहीं करने के लिए पाबंद के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जो वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए तथा वाद पत्र में आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत वाद को खारिज करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा प्रकरण विचाराधीन रहते न्याय आपके द्वारा केम्प कोर्ट फारकिया में दिनांक 13.6.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 8 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज करने का निर्णय/डिक्री पारित करने का अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत तथा न्याय नियम सिद्धांत के विपरीत पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद पत्र में वादीगण पक्षकारान को सुनवाई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा प्रकरण में किसी प्रकार की तनकीयात कायम नहीं की गई तथा दावाकृत भूमि आराजीयात चौसाला जमाबंदी में खसरा नम्बर 39, 40, 46, 107, 276, 277, 278, 279, 555, 1790, चौसाला जमाबंदी संवत 2022 से 26 में रामा वल्द कल्ला के नाम 1 हिस्सा एवं हिरा वल्द हरिराम 1/2 हिस्सा व राजू वल्द छितर 1/2 हिस्सा काना वल्द रतना 1 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा हिरा वल्द हरिराम व राजू वल्द छितर की मृत्यु हो चुकी है का वारिस रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 है जिनका 1 हिस्सा है तथा काना वल्द रतना की मृत्यु हो गई है का 1 हिस्सा है जिनके वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 6 लगायत 8 है तथा रामा वल्द कल्ला की मृत्यु हो गई के वारिस अपीलार्थी संख्या 1 प्रहलाद गोद पुत्र व तीजा पुत्री रामा रेस्पोडेंट संख्या 11 एवं कमला बेवा रामा रेस्पोडेंट संख्या 1 है इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात में अपीलार्थी एंव रेस्पोडेंट संख्या 1 व 11 का 1/3 हिस्सा प्रत्येक का निहित है के समर्थन में समस्त राजस्व रेकार्ड एवं वारिसान का सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित किया गया जो अपास्थ किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुश्तैनी जमीन में सभी वारिसान का हक व हिस्सा निहित होने पर भी मनमाने तरीके से प्रकरण को लोक अदालत केम्प कोर्ट में बिना वादी एवं बिना वादी के अधिवक्ता के वाद को खारिज किया गया का निर्णय डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 12 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि प्रहलाद को वाद के साथ संलग्न गोदनामे के द्वारा गोद लेना बताया गया है, गोदनामा दिनांक 13.1.2010 का है, यदि इस पंजीकृत गोदनामे के आधार पर गोद पुत्र बताया गया है तो शंकर जो कि प्रहलाद का प्राकृतिक पिता है के हित अधिकार प्रहलाद पर दिनांक 13.1.2010 को निष्प्रभावी हो गए है, तथा प्रतिवादीया क्रमांक 1 नैसर्गिक संरक्षक प्रहलाद की है, क्योंकि उसकी आयु उस समय 14 वर्ष की थी, इस प्रकार एक नाबालिग पुत्र अपनी माता पर किसी भी रूप में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि वाद शीर्षक में यदि शंकर के स्थान पर कमला का नाम अंकित कर दिया जाता है, जो कि विधि की मांग है, तो पूर्ण वाद स्वतः समाप्त हो जाता है, जो सम्पदा प्रहलाद को यदि प्राप्त भी होना है, तो वह गोदनामा के आधार पर प्राप्त होनी, तो गोदनामें का दोनों ही प्रारूपों पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, जब प्रहलाद की माता श्रीमती कमला पत्नी रामा है, इस आधार पर वाद बनाकर प्रस्तुत किया गया, परंतु शंकर को वादपत्र मे

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

जरिए पिता शंकर दर्शित किया गया है तो स्व0 रामा की सम्पत्ति में प्रहलाद का हित निहित नहीं हो सकता, तथा दत्तक होने पर भी नाबालिग (अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष) होने से किसी भी सम्पदा पर हित सर्जित नहीं हो सकता, अतएव यह वाद पोषणीय नहीं रहा। जिस सम्पदा में अंकन चाहा गया है, वह जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.1.2014 को विक्रीत कर दी गई है, तद्नुसार राजस्व न्यायालयों का वाद का श्रवण क्षेत्राधिकार हासिल नहीं हैं, क्योंकि जब तक विक्रीत सम्पदा का विक्रय विलेख निरस्त न हो जाए तब तक अन्य अंकन संभव नहीं है, सर्वप्रथम दीवानी अदालतों को विक्रय पत्र की कानूनी पोषणीयता पर निष्कर्ष व निर्णय प्रदान करना है। वादपत्र की सम्पूर्ण प्रथम दृष्टया स्थिति में अनुतोष के परिप्रेक्ष्य को देखने से स्पष्ट है कि यह वाद सिर्फ और सिर्फ विक्रीत कर दी गई सम्पदा को बाधित करने के लिए पूर्ण जानकारी में बनाकर प्रस्तुत किया गया, जिसमें व्यायादेश प्राप्त कर क्रेता के हितों को प्रभावित करने के लिए दुर्भिःसंधि कारित की और क्रमांक 2 से 8 को अनावश्यक पक्षकार बनाया, जबकि उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया, इस प्रकार पक्षकारान के विधि विरूद्ध तरीके से संयोजन जिसे कि कानून में कुसंयोजन किया गया है के आधार पर वाद निरस्तनीय है। अब वाद विधि से वर्जित हो गया है, जैसे ही श्रीमती तीजा ने वाद नोटप्रेस किया वैसे ही प्रहलाद ने कोई लोकस स्टेण्डाई अधिशेष नहीं रहा क्योंकि जिस व्यक्ति रामा पुत्र कल्ला की भूमि बताई गई है, उसकी मृत्यु के 40–45 वर्ष काफी अर्सा पूर्व हो चुकी है तथा उसने प्रहलाद को गोद नहीं लिया है, तथा जब प्रतिवादी संख्या 2 कमला द्वारा गोद लेना बताया गया है, तो उस गोदनामे को सिविल न्यायालय से पुष्ट कराना आवश्यक था, मिथ्या गोदनामे के आधार पर प्रहलाद पर कोई हक निहित नहीं है, अतः वाद चलने योग्य नहीं है। गोदनामे के आधार पर हक प्राप्त करने एवं विपरीत सम्पदा पर विभाजन व अंकन कराने हेतु यह वाद न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार से बाहर है, तथा दीवानी न्यायालय द्वारा ही पोषणीय है तथा प्रहलाद का वली न्यायिक आदेशों से ही नियुक्त किया जा सकता था, तद्नुसार वली की नियुक्ति नहीं कराई गई है, मनमर्जी से प्राकृतिक पिता ने अपने आप को वादी बनाकर प्रस्तुत किया है, जिसका कि रामा पुत्र कल्ला की सम्पदा से कोई सारोकार नहीं है। गोदनामे के आधार पर हक प्राप्त करने एवं विपरीत सम्पदा पर विभाजन व अंकन कराने हेतु यह वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार से बाहर है तथा दीवानी न्यायालय द्वारा ही पोषणीय है प्रहलाद को वली न्यायिक आदेशों से ही नियुक्त किया जा सकता था, तद्नुसार वली की नियुक्ति नहीं कराई गई है, मनमर्जी से प्राकृतिक पिता ने अपने आप को वादी बनाकर प्रस्तुत किया है, जिसका कि रामा पुत्र कल्ला की सम्पदा से कोई सरोकार नहीं है। वादी प्रहलाद को कमला प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा गोद लिया है वादी के पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं था जिससे सिद्ध हो कि उसको रामा पुत्र कल्ला ने गोद लिया हों। वादी द्वारा प्रस्तुत गोदनामें के आधार वादी द्वारा प्रस्तुत गोदनामें के आधार पर ही उक्त प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु के बाद ही उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद विधि सम्मत खारिज किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए तथा वाद पत्र में आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत् वाद को खारिज करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा प्रकरण विचाराधीन रहते न्याय आपके द्वारा केम्प कोर्ट फारकिया में दिनांक 13.6.2016 प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। हमारे द्वारा पत्रावली का गहन अध्ययन करने पर हमने यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 से 8 अनुपस्थित रहे एवं प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 17.3.2016 को जवाब का अंतिम अवसर दिया गया किंतु उनके द्वारा दिनांक 5.5.2016 तक जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब बंद किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए अपने निर्णय में यह तथ्य अंकित किए गए कि वादी संख्या 2 द्वारा प्रकरण विचारण के दौरान वाद नोट प्रेस कर लिया गया तथा वादी संख्या 1 का कथन है कि वह रामा का दत्तक पुत्र है अतः दत्तक पुत्र होने से उसका भी जमीन पर हक व अधिकार निहित है परंतु वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड गोदनामा अनुसार वादी प्रहलाद को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिए रजिस्टर्ड गोदनामा से गोद लिया गया है परंतु वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि उसको रामा पुत्र कमला ने गोद लिया हो। वादी द्वारा प्रस्तुत गोदनामे के आधार पर वादी प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के बाद ही उसकी आराजी पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद दिनांक 13.6.2016 को उक्त समस्त तथ्य कहते हुए खारिज फरमा दिया गया। हमने उक्त प्रकरण में यह पाया कि चूंकि कैम्प कोर्ट में केवल वही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिनमें उभयपक्षकारान की आपसी सहमति/रजामंदी हो अन्यथा बिना पक्षकारान की सहमति के किए गए फैसले नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को यह चाहिए था कि उभयपक्षकारान की सहमति लेकर उक्त प्रकरण को कोर्ट केम्प में निर्णित करते जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। गोदनामा एक विचारण का विषय है जिसमें सक्षम न्यायालय को वैधानिकता तय करनी है। **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 239 यह कहती है कि यदि राजस्व न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्यवाही में, उस भूमि के सम्बन्ध में जो ऐसे वाद या कार्यवाही की विषय वस्तु है, स्वामित्व के अधिकार प्रश्न उठाया जायें और उस प्रश्न का निर्णय समक्ष अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय द्वारा पहले नही किया जा चुका हो तो, उक्त राजस्व न्यायालय स्वामित्व के अधिकार के प्रश्न पर विप्रश्न (तनकीह)कायम करेगा और रेकार्ड को, केवल उसी विप्रश्न के निर्णय के लिए सक्षम दीवानी न्यायालय को भेज देगा।** ऐसे में उक्त प्रश्न का विनिश्चय सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा अवधारित करने से पहले ही बिना किसी तनकी, साक्ष्य–सुनवाई के बिना वाद को खारिज करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप ने स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे उक्त वाद पत्र में जवाब दावा प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर साक्ष्य व सुनवाई का उभयपक्षों को समुचित अवसर देते हुए,प्रकरण पर पुनः नए सिरे से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें तब तक उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर